



लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फैक्स क्रमांक 0771-2445215, ई-मेल- cg.dpi.dir@gmail.com)
क्रमांक / स्वा.आ.अं.मा. / 2021-22 / २१

रायपुर दिनांक २१/०६/२०२१

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
छत्तीसगढ़।

विषय:- सत्र 2021-22 के लिये विद्यार्थियों का प्रवेश।

—000—

कोरोना वैश्विक महामारी के संकरण से बचाव को देखते हुए वर्तमान में सभी स्कूल बंद हैं इस कारण स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाई है। विभाग द्वारा स्कूलों में “पढ़ई तुंहर दुआर” योजना के अंतर्गत ऑनलाईन एवं ऑफलाईन मोड में अनेक योजनायें चलाई जा रही हैं, जिससे बच्चों को घर बैठे पढ़ने सीखने में मदद मिल सके। इन योजनाओं का तभी लाभ मिल सकेगा जब सब बच्चों को निःशुल्क, पाठ्य पुस्तकें भी घर बैठे मिले। पाठ्य पुस्तकों के वितरण के लिये बच्चों को अगली कक्षा में प्रवेश कराया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त स्कूल शिक्षा विभाग की अन्य अनेक योजनाओं का लाभ तभी मिल सकेगा जब इन बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण होगी। इसमें निःशुल्क गणवेश, स्कॉलरशिप, मध्यान्ह भोजन, निःशुल्क सायकल वितरण आदि अनेक योजनायें शामिल हैं, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए अकादमिक सत्र 2021-22 के लिये निम्नानुसार प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

1. क्योंकि राज्य शासन द्वारा कक्षा 10वीं एवं 12वीं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में जनरल प्रमोशन दिया गया है। कक्षा 1ली से 8वीं तथा कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को स्वमेव अगली कक्षाओं में प्रवेश दे दिया जाये, इसके लिये विद्यार्थियों को किसी प्रकार का आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। स्कूलों में प्राचार्य बिना किसी आवेदन के इन कक्षाओं के बच्चों का नाम अगली कक्षा के रजिस्टर में अंकित करके उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश देंगे। विभिन्न प्रकार के स्कूलों में इसके लिये निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी:-
 - (क) सभी प्राथमिक विद्यालयों में जो विद्यार्थी गत वर्ष कक्षा 1ली से 4थी में अध्ययनरत थे उनका नाम कक्षा 2री से 5वीं के रजिस्टर में अगली कक्षा में अंकित करके प्रवेश दिया जाएगा।
 - (ख) ऐसे विद्यालय जहां प्राथमिक के साथ-साथ उच्च प्राथमिक विद्यालय भी संचालित है वहां जो विद्यार्थी गत वर्ष कक्षा 5वीं में अध्ययनरत थे उनका नाम इस वर्ष कक्षा 6वीं में दर्ज कर लिया जाएगा। वे प्राथमिक विद्यालय जिनके साथ उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनके साथ उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित नहीं है उनके प्रधान पाठ्यक अपने विद्यालय के गत वर्ष कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के नाम उस उच्च प्राथमिक विद्यालय में दर्ज करायेंगे जहां पर सामान्य रूप से उस प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी कक्षा 5वीं पास करने के बाद प्रवेश लेते हैं।
 - (ग) इसी प्रकार समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो विद्यार्थी कक्षा 6वीं एवं 7वीं में गत वर्ष अध्ययनरत थे उनके नाम इस वर्ष कक्षा 7वीं एवं 8वीं दर्ज किये जाएंगे।

- (घ) जिन विद्यालयों में उच्च प्राथमिक के साथ-साथ कक्षा 9वीं कक्षा 10वीं की कक्षायें भी लगती हैं वहां पर जो विद्यार्थी कक्षा 8 में अध्ययनरत थे उनके नाम कक्षा 9वीं में दर्ज कराये जाएंगे, ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनके साथ कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विद्यालय उसी कैम्पस में नहीं है। वहां के प्रधान अध्यापक अपने विद्यालय के उन विद्यार्थियों का नाम जा गत वर्ष कक्षा 8वीं में अध्ययनरत थे ऐसे हाईस्कूल में कक्षा 9वीं में दर्ज करायेंगे, उसी प्रकार उस उच्च प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी सामान्य रूप से कक्षा 8वीं पास करने के बाद प्रवेश लेते हैं।
- (ङ) हाईस्कूलों में जो विद्यार्थी कक्षा 9वीं में अध्ययनरत थे उनके नाम इस वर्ष कक्षा 10वीं के रजिस्टर में दर्ज कर लिये जाएंगे। इसी प्रकार हायर सेकेण्डरी स्कूलों में जो विद्यार्थी कक्षा 11वीं में अध्ययनरत थे उनके नाम इस वर्ष कक्षा 12वीं में दर्ज कर लिये जाएंगे।
2. **कक्षा 11वीं में प्रवेश:-** चूंकि 10 वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है। अतः कक्षा 11वीं में छात्र-छात्राओं को 15 अगस्त तक प्रवेश दिया जाए।
3. **कक्षा 1ली में प्रवेश:-** प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक उस प्राथमिक विद्यालय के क्षेत्र में आने वाले आंगनबाड़ी के रजिस्टर से ऐसे बच्चों की सूची बनायेंगे जिन्होंने 06 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है तथा ऐसे सभी बच्चों को बिना किसी आवेदन के कक्षा 1ली में प्रवेश दिया जाएगा।
4. **प्रवासी मजदूरों के बच्चों को प्रवेश:-** कोरोना संक्रमण काल में बहुत सारे प्रवासी मजदूर अपने परिवारों के साथ अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ राज्य लौटकर आये हैं। लौटने पर इन मजदूरों एवं उनके परिवारों को क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया था। जहां पर इन मजदूरों के बच्चों की सूची तैयार करा ली गई थी जिसमें उनके गांव बच्चों की आयु तथा कक्षा की जानकारी भी ली गई थी। इस सूची में शामिल सभी बच्चों को संबंधित ग्राम के स्कूलों में तथा संबंधित कक्षा में प्रवेश देने की कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जाए तथा संबंधित स्कूल के रजिस्टर में इन बच्चों का नाम दर्ज करने के उपरांत इन बच्चों के माता-पिता को स्कूल किया जाए कि उनके बच्चों का नाम संबंधित विद्यालय में दर्ज कर लिया गया है। सूचित किया जाए कि उनके बच्चों का नाम संबंधित विद्यालय में दर्ज कर लिया गया है।
5. ऐसे निजी विद्यालय जो बंद हो चुके हैं, उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निकट के सरकारी विद्यालयों में प्रवेश दिलवाकर विद्यार्थियों की नामवार विद्यालयवार सूची भेजें।
- सभी कक्षाओं के लिये प्रवेश की यह प्रक्रिया 15 अगस्त तक पूर्ण की ली जाए तथा प्रवेशित छात्र-छात्राओं की एन्ट्री स्टूडेन्ट पोर्टल में की जाए। प्रवेश दिये गये विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश, स्कॉलरशिप, मध्यान्ह भोजन, निःशुल्क सायकल वितरण आदि सभी योजनाओं का लाभ विद्यार्थियों के घर पर ही उपलब्ध कराया जाए।

अयुक्त

लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़

रायपुर दिनांक २१/०६/२०२१

पृ.क्रमांक / रक्वा.आ.अ.मा. / 2021-22 / २१५

प्रतिलिपि:-

- 1/ अपर मुख्य सचिव, मान.मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर।
- 2/ निज सहायक, मान.मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति अनु.जाति विकास विभाग।
- 3/ प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर।
- 4/ संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. शंकर नगर रायपुर।
- 5/ प्रबंध संचालक, समग्र शिक्षा छ.ग. रायपुर।

// 3 //

- 6/ समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
- 7/ समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा छत्तीसगढ़।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

YCP

आयुक्त

लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़